रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082020-220981
CG-DL-E-08082020-220981

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2351] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 7, 2020/श्रावण 16, 1942
No. 2351] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 7, 2020/SHRAVANA 16, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2020

का. आ. 2651(अ).—केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि 'पारादीप-हल्दिया-दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन का संबर्धन तथा पटना और मुजफ्फरपुर तक इसका विस्तार' परियोजना के अन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन हेतु बिहार राज्य के लखीसराय जिले के अंचल- बड़हिया में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसके भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के अन्दर, भूमि के भीतर पाइपलाइन बिछाये जाने हेतु उपयोग के अधिकार के अर्जन के लिए, श्री भुवनेश्वर मिश्रा, से॰ नि॰ अपर सचिव बिहार सरकार व सक्षम प्राधिकार, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पाइपलाइंस डिविजन), बरौनी

निर्माण कार्यालय, बी॰ के॰ पी॰ एल॰ मुख्यालय परिसर, पो॰ बरौनी आयल रिफ़ाइनरी, जिला बेगूसराय, पिन– 851114 (बिहार) को लिखित रूप मे आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला :लखीसराय				राज्य : बिहार	
अंचल	मौज़ा/थाना नं॰	सर्वे नं॰/प्लॉट नं॰	क्षेत्रफल		
			हेक्टेर	अरे	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़हिया	डुमरी - 161	5235	00	12	49
		5165	00	06	85
		5164	00	02	48
		5163	00	06	33
		5173	00	02	34
		5174	00	01	16
		4860	00	01	69
		4859	00	01	67
		4858	00	02	20
		4857	00	02	04
		4850	00	01	11
		4848	00	04	69
		4847	00	04	72
		4849	00	05	37
		4845	00	00	20
		4846	00	04	64
		4844	00	03	05
		4843	00	08	54
		4912	00	00	20
		4913	00	00	20
		4914	00	00	45
		4916	00	00	20
		4842	00	00	79
		4836	00	07	90
		4807	00	01	55
		4835	00	11	67
		4833	00	00	65
		4830	00	04	59
		4812	00	09	68

		4813	00	03	54
		4815	00	05	74
		4818	00	05	04
		4819	00	00	24
		4829	00	02	82
		4820	00	02	52
		4826	00	00	58
		4821	00	04	58
		4822	00	04	00
		4823	00	03	08
		4777	00	03	99
		4335	00	00	37

[फा. सं. आर-11025(11)/235/2017-ओ.आर-I/ई-13716]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2020

S.O. 2651(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that a pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited in Anchal- Barahiya of Lakhisarai district in the State of Bihar for 'Augmentation of Paradip-Haldia-Durgapur LPG pipeline and its extension up to Patna and Muzaffarpur' for the transportation of LPG Product;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri. Bhubneshwar Mishra, Additional Secretary (Retd.), Govt. of Bihar & Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Pipeline Division Barauni Construction Office, BKPL Head Quarter, Post- Barauni Oil Refinery, District – Begusarai, Bihar – 851114.

SCHEDULE

District : Begusarai			State: Bihar		
Anchal	Name of Mouza/Thana No.	Survey No. / Plot No.	Area		
			Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Barahiya	Dumari-161	5235	00	12	49

		5165	00	06	85
		5164	00	02	48
		5163	00	06	33
		5173	00	02	34
		5174	00	01	16
		4860	00	01	69
		4859	00	01	67
		4858	00	02	20
		4857	00	02	04
		4850	00	01	11
		4848	00	04	69
		4847	00	04	72
		4849	00	05	37
		4845	00	00	20
		4846	00	04	64
		4844	00	03	05
		4843	00	08	54
		4912	00	00	20
		4913	00	00	20
		4914	00	00	45
		4916	00	00	20
		4842	00	00	79
		4836	00	07	90
		4807	00	01	55
		4835	00	11	67
		4833	00	00	65
		4830	00	04	59
		4812	00	09	68
		4813	00	03	54
		4815	00	05	74
		4818	00	05	04
		4819	00	00	24
		4829	00	02	82
		4820	00	02	52
		4826	00	00	58
		4821	00	04	58
		4822	00	04	00
		4823	00	03	08

		4777	00	03	99
		4335	00	00	37

[F. No. R-11025(11)/235/2017-OR-I/E-13716]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2020

का. आ. 2652(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्रकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 2646 (अ), 2647 (अ), 2648 (अ), 2649(अ) तारीख 09 अगस्त, 2017, भारत के राजपत्र सं॰ 2320 तारीख 14 अगस्त, 2017, तथा अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 267(अ), तारीख 10 जनवरी 2019, भारत के राजपत्र स॰-169 तारीख 12 जनवरी, 2019 में प्रकाशित की गई थी। इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में बिहार राज्य में 'पारादीप-हल्दिया-दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन का संबर्धन तथा पटना और मुजफ्फरपुर तक इसका विस्तार' हेतु जिला बेगूसराय में एलपीजी के परिवहन हेतु इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना संबन्धित भू-स्वामियों को तारीख 16, दिसम्बर, 2019 तक उपलब्ध करा दी गई थी,

और सक्षम प्राधिकारी (बरौनी, बिहार) ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ,

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनीर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए,

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी,

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम,1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदाई होगा और पाइपलाइन से संबन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी ।

अनुसूची

जिला बेगुसराय		राज्य : बिहार			
अंचल	मौज़ा का नाम	सर्वे / प्लाट नम्बर	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बरौनी	मैदाबशनगांवां – 514	947	00	04	32
		972	00	03	86
		972/1994	00	14	99
		968	00	05	40
		925	00	11	15
		924	00	04	86
बरौनी	असुरारी – 472	872	00	00	45
		848	00	16	14
		770	00	06	74
		767	00	01	38
		767/1830	00	02	85
		781	00	00	44
		109	00	12	84
		111	00	03	28
		110	00	03	42
		151	00	07	16
		150	00	06	80
		144	00	08	63
		143	00	03	59
		136	00	00	40
बरौनी	पिपरादेवस – 473	316	00	06	01
		198	00	05	19
		192	00	08	61
		190	00	06	59
		188	00	02	08
		186	00	00	53
		187	00	12	36
		87	00	09	60
		46	00	00	38

बरौनी	हाजीपुर – 475	37	00	02	74
		64	00	06	34
		66	00	05	31
भगवानपुर	लखनपुर- 299	1771	00	06	12
		1772	00	07	05
		1776	00	06	65
		1778	00	00	89
		1745	00	04	96
		1741	00	00	58
भगवानपुर	सतराजेपुर – 303	526	00	10	17
		525	00	11	40
		525/692	00	00	40
भगवानपुर	मनसरपुर – 184	713	00	00	87
		705	00	13	07
		704	00	00	07
		703	00	09	91
		697	00	18	32
		694	00	13	21
		695	00	00	33
		693	00	01	29
		692	00	06	59
		583	00	05	80
		580	00	03	49
		584	00	00	81
		691	00	00	31
		675	00	07	95
		585	00	00	03
		587	00	02	93
		588	00	19	25
		590	00	10	66
		593	00	04	25
		549	00	00	07
		594	00	01	30
		598	00	03	43
		548	00	05	09

		547	00	09	66
		546	00	03	34
		545	00	03	88
		544	00	01	28
		612	00	02	20
		543	00	02	70
		542	00	00	40
		613	00	03	82
		541	00	00	92
		540	00	02	57
		539	00	02	32
		538	00	01	35
		537	00	01	27
		536	00	03	00
		620	00	06	49
		534	00	01	79
		533	00	00	16
		621	00	05	74
		622	00	08	55
		386	00	03	32
		623	00	00	29
		385	00	06	65
		376	00	03	44
		377	00	01	60
		371	00	10	59
		370	00	01	24
		369	00	08	73
		368	00	15	74
		322	00	00	58
		321	00	02	87
		320	00	00	67
		316	00	10	23
		315	00	01	93
		317	00	00	75
		314	00	08	49
		313	00	05	11
		307	00	02	08

भगवानपुर	महम्मदपुर मासूम – 183	1	00	13	21
		2	00	03	75
		3	00	03	49
		4	00	00	79
		5	00	04	11
		6	00	01	18
भगवानपुर	चकसदात – 190	100	00	03	83
		101	00	03	00
		110	00	06	53
		114	00	04	75
		115	00	00	40
		116	00	03	73
		113	00	00	75
		120	00	07	71
भगवानपुर	महेशपुर – 196	154	00	09	53
		386	00	00	40
बछवारा	अरवा –223	819	00	01	28
		328	00	00	78
		275	00	02	18
मंसुर चक	गुरदासपुर - 3	343	00	01	02
		340	00	01	48
		169	00	02	52
मंसुर चक	छबीलापुर - 2	579	00	01	12
		590	00	02	23
मंसुर चक	मिलकी - 1	79	0	6	50
		77	0	2	39
		78	0	0	40
		76	0	4	5
		15	0	4	8
		14	0	1	73

[फा. सं. आर-11025(11)/235/2017-ओ.आर-I/ई-13716]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2020

S.O. 2652(E).—Whereas by the notification of the Government of the India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No. 2646(E), 2647(E), 2648 (E), 2649(E) Dated 09 August, 2017, published in the Gazette of the India Gazette No-2320 dated 14 August, 2017 and S.O. No. 267(E) dated 10 January 2019 in Gazette of India No. 169, dated 12 January, 2019 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying 'Augmentation of Paradip-Haldia-Durgapur LPG pipeline and its extension upto Patna and Muzaffarpur' for the transportation of LPG in Begusarai District in the State of Bihar by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 16 December 2019

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

District : Begusarai		**State : Bihar**			
Anchal	**Name of Mouza**	**Survey / Plot No.**	**Area**		
			Hectare	**Are**	**Square Metre**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Barauni	Maidababhangaona- 514	947	00	04	32
		972	00	03	86
		972/1994	00	14	99
		968	00	05	40
		925	00	11	15
		924	00	04	86
Barauni	Asuarari- 472	872	00	00	45
		848	00	16	14
		770	00	06	74
		767	00	01	38
		767/1830	00	02	85
		781	00	00	44
		109	00	12	84

		111	00	03	28
		110	00	03	42
		151	00	07	16
		150	00	06	80
		144	00	08	63
		143	00	03	59
		136	00	00	40
Barauni	Pipradevasa- 473	316	00	06	01
		198	00	05	19
		192	00	08	61
		190	00	06	59
		188	00	02	08
		186	00	00	53
		187	00	12	36
		87	00	09	60
		46	00	00	38
Barauni	Hajipur- 475	37	00	02	74
		64	00	06	34
		66	00	05	31
Bhagawanpur	Lakhanpur- 299	1771	00	06	12
		1772	00	07	05
		1776	00	06	65
		1778	00	00	89
		1745	00	04	96
		1741	00	00	58
Bhagawanpur	Satrajepur- 303	526	00	10	17
		525	00	11	40
		525/692	00	00	40
Bhagawanpur	Mansarpur- 184	713	00	00	87
		705	00	13	07
		704	00	00	07
		703	00	09	91
		697	00	18	32

		694	00	13	21
		695	00	00	33
		693	00	01	29
		692	00	06	59
		583	00	05	80
		580	00	03	49
		584	00	00	81
		691	00	00	31
		675	00	07	95
		585	00	00	03
		587	00	02	93
		588	00	19	25
		590	00	10	66
		593	00	04	25
		549	00	00	07
		594	00	01	30
		598	00	03	43
		548	00	05	09
		547	00	09	66
		546	00	03	34
		545	00	03	88
		544	00	01	28
		612	00	02	20
		543	00	02	70
		542	00	00	40
		613	00	03	82
		541	00	00	92
		540	00	02	57
		539	00	02	32
		538	00	01	35
		537	00	01	27
		536	00	03	00
		620	00	06	49
		534	00	01	79
		533	00	00	16
		621	00	05	74
		622	00	08	55
		386	00	03	32

		623	00	00	29
		385	00	06	65
		376	00	03	44
		377	00	01	60
		371	00	10	59
		370	00	01	24
		369	00	08	73
		368	00	15	74
		322	00	00	58
		321	00	02	87
		320	00	00	67
		316	00	10	23
		315	00	01	93
		317	00	00	75
		314	00	08	49
		313	00	05	11
		307	00	02	08
Bhagawanpur	Mohammadpur Masum- 183	01	00	13	21
		02	00	03	75
		03	00	03	49
		04	00	00	79
		05	00	04	11
		06	00	01	18
Bhagawanpur	Chaksadat- 190	100	00	03	83
		101	00	03	00
		110	00	06	53
		114	00	04	75
		115	00	00	40
		116	00	03	73
		113	00	00	75
		120	00	07	71
Bhagawanpur	Maheshpur -196	154	00	09	53
		386	00	00	40
Bachhawara	Arwa- 223	819	00	01	28

		328	00	00	78
		275	00	02	18
Mansur Chak	Gurdaspur -3	343	00	01	02
		340	00	01	48
		169	00	02	52
Mansur Chak	Chhabilapur- 2	579	00	01	12
		590	00	02	23
Mansur Chak	Milki - 1	79	00	06	50
		77	00	02	39
		78	00	00	40
		76	00	04	05
		15	00	04	08
		14	00	01	73

[F. No. R-11025(11)/235/2017-OR-I/E-13716]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.08.08 19:54:46 +05'30'